केंद्रीय बजट 2026-27 का विश्लेषण

बजट की मुख्य झलकियां

- **व्यय**: 2026-27 में सरकार द्वारा 53,47,315 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है। ब्याज का भुगतान कुल व्यय का 26% और कुल राजस्व प्राप्ति का 40% है।
- **प्राप्तियां**: 2026-27 में (ऋण को छोड़कर) प्राप्तियां 36,51,547 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से लगभग 7.2% अधिक है। कर राजस्व, जो प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा है, में भी 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 8% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **जीडीपी**: सरकार ने 2026-27 में सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान लगाया है (अर्थात वास्तविक वृद्धि और मुद्रास्फीति)।
- **घाटा**: 2026-27 में राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5% पर लक्षित है। यह 2025-26 के संशोधित अनुमान 1.5% के समान है। 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3% पर लक्षित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 4.4% से कम है।
- **ऋण**: केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक अपने बकाया ऋणों को जीडीपी के लगभग 50% तक कम करना है। 2026-27 में बकाया ऋण जीडीपी के 55.6% होने का अनुमान है।

फाइनांस बिल में मुख्य कर प्रस्ताव

- **आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं**: आकलन वर्ष 2026-27 के लिए कर संरचना पिछले वर्ष के समान ही रहेगी।
- **कर छूट**: भारतीय डेटा केंद्रों का उपयोग करके वैश्विक क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक कर छूट दी गई है, बशर्ते भारतीय ग्राहकों को सेवाएं भारतीय पुनर्विक्रेता (रीसेलर) के माध्यम से प्रदान की जाएं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। इस अवधि के बाद आईएफएससी इकाइयों की आय पर 15% कर लगेगा।
- **शेयर बायबैक पर कर**: सभी शेयर बायबैक पर पूंजीगत लाभ कर लगाने का प्रस्ताव है जिसमें प्रमोटर्स के लिए अतिरिक्त बायबैक कर भी शामिल होगा। इससे प्रभावी दर कॉरपोरेट प्रमोटर्स के लिए 22% और गैर-कॉरपोरेट प्रमोटर्स के लिए 30% हो जाती है।
- **प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में वृद्धि**: एसटीटी दरें निम्नानुसार बढ़ाई गई हैं: विकल्पों पर 0.1% से 0.15%, प्रयोग किए गए विकल्पों पर 0.125% से 0.15% और वायदा पर 0.02% से 0.05%।
- **म्यूचुअल फंड से आय पर कटौती**: लाभांश आय या म्यूचुअल फंड यूनिट्स से होने वाली आय अर्जित करने के लिए किए गए ब्याज व्यय पर कोई कटौती नहीं दी जाएगी। इससे पहले सकल लाभांश या आय के 20% तक ऐसी कटौती की अनुमति थी।
- **न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट)**: 1 अप्रैल, 2026 से मैट के लिए कोई क्रेडिट संचय उपलब्ध नहीं होगा। मैट दर 15% से घटाकर 14% की जा रही है। मैट क्रेडिट का उपयोग केवल नई कर व्यवस्था में कर देयता के अधिकतम 25% तक ही किया जा सकेगा।
- **छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति- प्रकटीकरण योजना, 2026**: लौटने वाले अनिवासियों जैसे कुछ छोटे करदाताओं द्वारा विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए एक समयबद्ध योजना शुरू की गई है। यह अघोषित जानकारी की श्रेणी के आधार पर कर अतिरिक्त शुल्क या एक निश्चित फीस के भुगतान पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से छूट के साथ चरणबद्ध राहत प्रदान करती है।

1 फरवरी, 2026

- **अनिवासियों के लिए छूट**: इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पांच वर्ष की आयकर छूट, (ii) अधिसूचित योजनाओं के तहत भारत में पांच वर्ष तक काम करने वाले विशेषज्ञ अनिवासियों के लिए वैश्विक आय की छूट, और (iii) अनिवासियों की और अधिक श्रेणियों को मैट से छूट दे दी गई है।
- **जुर्माने और कानूनी कार्रवाई को तर्कसंगत बनाना**: कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है (डीक्रिमिनलाइज किया गया है), या उनके लिए अधिकतम दो वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है।
- **स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस)**: शिक्षा या चिकित्सा उपचार के लिए 10 लाख रुपए से अधिक की राशि के प्रेषण पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यात्रा या होटल में ठहरने के खर्च सहित विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर टीसीएस को 5% और 20% (राशि के आधार पर) से घटाकर 2% कर दिया गया है।

नीतियों की झलकियां

- **वित्त और अर्थव्यवस्था**: 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' का गठन इस क्षेत्र की समीक्षा के लिए किया जाएगा। विदेशी निवेश के ढांचे को सरल बनाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की समीक्षा की जाएगी। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासी (पीआरओआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी उपकरणों में निवेश कर सकेंगे। इस योजना के तहत व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% की जाएगी। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के लिए एक मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क (फंड्स और डेरिवेटिव्स तक पहुंच के साथ) और टोटल रिटर्न स्वैप का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही म्युनिसिपल बॉन्ड (नगर निगम बॉन्ड) को बढ़ावा देने के लिए 1,000 रुपए करोड़ रुपए से अधिक के एकल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
- **उद्योग और वाणिज्य**: आधुनिक तकनीक और अवसंरचना के माध्यम से 200 पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके पांच उप-भाग होंगे: (i) राष्ट्रीय फाइबर योजना, (ii) वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, (iii) राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प योजना, (iv) टेक्स-इको पहल, और (v) समर्थ 2.0। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव किया गया है। 'चैंपियन एसएमई' बनाने के लिए निम्नलिखित पहलों का प्रस्ताव है: (i) एसएमई विकास कोष, जिसका परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है, (ii) आत्मनिर्भर भारत कोष में वृद्धि, और (iii) तरलता सहायता।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर**: सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। निजी निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष स्थापित किया जाएगा। पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा और इस क्षेत्र के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की जाएंगी। सूरत को दानकुनी से जोड़ने वाला एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा और अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू किया जाएगा। निर्माण और अवसंरचना उपकरणों में सुधार और कंटेनर निर्माण के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी।
- **शहरी विकास**: विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर नगर आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) का मानचित्रण किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक सीईआर को पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। चयनित शहरों के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
- **श्रम और रोजगार**: सेवा क्षेत्र के विकास के लिए 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति रोजगार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का भी आकलन करेगी।
- **शिक्षा**: औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे। मुंबई स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- **ऊर्जा**: इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का आवंटन 22,919 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। ओड़िशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कार्बन कैप्चर, उपयोग

और भंडारण के लिए पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा।

- **स्वास्थ्य**: सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जहां रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और बिहेवेरियल हेल्थ जैसे विषयों की पढ़ाई होगी। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आयुर्वेद के तीन अखिल भारतीय संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे।
- **फार्मास्यूटिकल्स**: बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बायोफार्मा शक्ति (स्ट्रैटेजी फॉर हेल्थकेयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन) योजना को 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। तीन राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे और सात मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।
- **कृषि**: कपास के बीज और पशु आहार की आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियों के सदस्यों को कर छूट का लाभ मिलेगा। पशुपालन क्षेत्र को ऋण-आधारित सबसिडी कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी।

2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2026-27 का बजट अनुमान

- **कुल व्यय**: 2026-27 में सरकार द्वारा 53,47,315 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। यह 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है।
- राजस्व व्यय में 6.6% और पूंजीगत व्यय में 11.5% की वृद्धि का अनुमान है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (वीबी-जी राम जी, जिसने मनरेगा का स्थान लिया है) के लिए आवंटन 2025-26 के संशोधित अनुमान से 42.8% बढ़ गया है। ब्याज भुगतान में 10.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। राजस्व प्राप्तियों का लगभग 65.3% प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान) पर खर्च किया जाता है।
- **कुल प्राप्तियां**: सरकारी प्राप्तियां (ऋण को छोड़कर) 36,51,547 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.2% अधिक है। इन प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को ऋण से पूरा किया जाएगा, जिसका बजट 16,95,768 करोड़ रुपए है। यह 2025-26 के संशोधित अनुमान से 8.8% अधिक है।
- **राज्यों को हस्तांतरण**: केंद्र सरकार 2026-27 में राज्यों को 26,20,769 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेगी जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 12.2% अधिक है। राज्यों को हस्तांतरण में 15,26,255 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण और 10,94,514 करोड़ रुपए के अनुदान और ऋण शामिल हैं। इसमें से 1,85,000 करोड़ रुपए राज्यों को पूंजीगत व्यय ऋण के रूप में आवंटित किए गए हैं।
- **घाटा**: राजस्व घाटा जीडीपी के 1.5% पर लक्षित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान (जीडीपी के 1.5%) के समान है। राजकोषीय घाटा 2026-27 में जीडीपी के 4.3% पर लक्षित है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान (जीडीपी के 4.4%) से कम है।
- **जीडीपी वृद्धि का अनुमान**: सांकेतिक जीडीपी में 2026-27 में 10% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

तालिका 1: बजट 2026-27 एक नज़र में (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2024-25	बजटीय 2025-26	संशोधित 2025-26	बजटीय 2026-27	% परिवर्तन (2025-26 संअ से 2026-27 बअ)
राजस्व व्यय	36,00,914	39,44,255	38,69,087	41,25,494	6.6%
पूंजी व्यय	10,51,953	11,21,090	10,95,755	12,21,821	11.5%
इसमें से:					
पूंजी परिव्यय	8,55,244	8,95,245	8,87,364	9,43,042	6.3%
ऋण एवं अग्रिम	1,96,710	2,25,844	2,08,391	2,78,780	33.8%
कुल व्यय	**46,52,867**	**50,65,345**	**49,64,842**	**53,47,315**	**7.7%**
राजस्व प्राप्तियां	30,36,619	34,20,409	33,42,323	35,33,150	5.7%
पूंजी प्राप्तियां	41,818	76,000	64,027	1,18,397	84.9%
इसमें से:					
ऋण की वसूली	24,617	29,000	30,190	38,397	27.2%
विनिवेश	17,202	47,000	33,837	80,000	136.4%
कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर)	**30,78,436**	**34,96,409**	**34,06,350**	**36,51,547**	**7.2%**
राजस्व घाटा	5,64,296	5,23,846	5,26,764	5,92,344	12.4%
जीडीपी का %	**1.7%**	**1.5%**	**1.5%**	**1.5%**	
राजकोषीय घाटा	15,74,431	15,68,936	15,58,492	16,95,768	8.8%
जीडीपी का %	**4.8%**	**4.4%**	**4.4%**	**4.3%**	
प्राथमिक घाटा	4,58,856	2,92,598	2,84,154	2,91,796	2.7%
जीडीपी का %	**1.4%**	**0.8%**	**0.8%**	**0.7%**	

स्रोत: बजट एक नज़र में, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ 2026-27; पीआरएस।

सरकार की परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन लाने वाले व्यय (जैसे सड़कों का निर्माण या ऋणों की वसूली) को पूंजीगत व्यय कहा जाता है, और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय कहलाते हैं (जैसे वेतन भुगतान या ब्याज भुगतान)। 2026-27 में **पूंजीगत व्यय** में 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 11.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। **राजस्व व्यय** में 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 6.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

विनिवेश का अर्थ है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अपनी हिस्सेदारी बेचना। अनुमान है कि 2025-26 में सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य का 71.9% पूरा कर लेगी। 2026-27 के लिए विनिवेश लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपए है जो 2025-26 के बजट लक्ष्य (47,000 करोड़ रुपए) से अधिक है। लगातार पांच वर्षों तक लक्ष्यों में कमी और उन्हें प्राप्त करने में चूक के बाद, विनिवेश लक्ष्य में यह पहली वृद्धि है।

विनिवेश (करोड़ रुपए में)

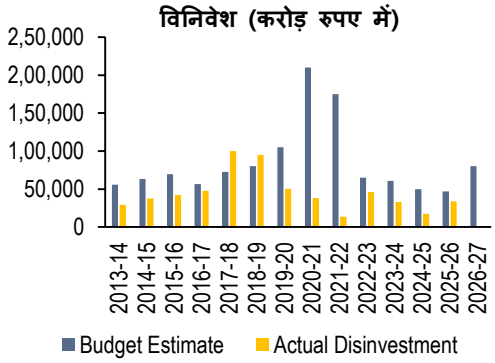

नोट: वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान को वास्तविक आंकड़े माना गया है। स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज (विभिन्न वर्षों के); पीआरएस।

2026-27 के लिए प्राप्तियां

- 2026-27 में **प्राप्तियां** (ऋण को छोड़कर) 36,51,547 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 7.2% अधिक है। यह मुख्य रूप से केंद्र के शुद्ध कर राजस्व में 7.2% की वृद्धि के कारण है।
- **सकल कर राजस्व** में 2026-27 में 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 8% की वृद्धि का बजट है। यह 2026-27 में सांकेतिक जीडीपी में अनुमानित 10% की वृद्धि से कम है। 2026-27 के लिए निगम कर और आयकर में 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः लगभग 11% और 11.7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2026-27 में सीजीएसटी से राजस्व में 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- केंद्र के कर राजस्व से **राज्यों को हस्तांतरित होने वाली राशि** 2026-27 में 15,26,255 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 9.6% अधिक है। 2025-26 में राज्यों को हस्तांतरित होने वाली राशि 13,92,971 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो बजट में निर्धारित राशि (14,22,444 करोड़ रुपए) से 2% कम है।
- राज्यों के करों में हिस्सेदारी को छोड़कर **शुद्ध कर राजस्व** 2026-27 में 28,66,922 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.2% अधिक है। 2025-26 में संशोधित स्तर पर शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमान से 5.7% कम रहने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण आयकर और जीएसटी से बजट से कम प्राप्तियां हैं।
- **गैर-कर राजस्व** में केंद्र द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश, लाइसेंस शुल्क, टोल और सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क शामिल हैं। 2026-27 में गैर-कर राजस्व 6,66,228 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान के लगभग बराबर है। 2026-27 में गैर-कर राजस्व का 59% लाभांश और मुनाफे से आने का अनुमान है।
- **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण को छोड़कर) का लक्ष्य 1,18,397 करोड़ रुपए रखा गया है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 85% अधिक है। यह वृद्धि विनिवेश से अनुमानित उच्च प्राप्तियों के कारण हुई है। 2025-26 के संशोधित अनुमान उस वर्ष के बजट में निर्धारित राशि से 15.7% कम हैं। इसका मुख्य कारण विनिवेश लक्ष्यों की पूर्ति न होना है।

तालिका 2: 2026-27 में केंद्र सरकार की प्राप्तियों का विवरण (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2024-25	बजटीय 2025-26	संशोधित 2025-26	बजटीय 2026-27	% परिवर्तन (2025-26 संअ से 2026-27 बअ)
क. सकल कर राजस्व	**37,96,382**	**42,70,233**	**40,77,772**	**44,04,086**	**8%**
जिसमें					
निगम कर	9,86,767	10,82,000	11,09,000	12,31,000	11%
आय पर कर	12,35,171	14,38,000	13,12,000	14,66,000	11.7%
वस्तु एवं सेवा कर	10,27,041	11,78,000	10,46,480	10,19,020	-2.6%
सीजीएसटी	*8,76,471*	*10,10,890*	*9,58,480*	*10,19,020*	*6.3%*
जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस	*1,50,570*	*1,67,110*	*88,000*	*0*	-
सीमा शुल्क	2,33,201	2,40,000	2,58,290	2,71,200	5%
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	3,00,253	3,17,000	3,36,550	3,88,910	15.6%
ख. राज्यों को हस्तांतरण	**12,86,885**	**14,22,444**	**13,92,971**	**15,26,255**	**9.6%**
ग. केंद्र का शुद्ध कर राजस्व	**25,00,039**	**28,37,409**	**26,74,661**	**28,66,922**	**7.2%**
घ. गैर-कर राजस्व	5,36,580	5,83,000	6,67,662	6,66,228	**-0.2%**
जिसमें:					
ब्याज प्राप्तियां	40,435	47,738	40,165	41,763	4%
लाभांश और लाभ	3,08,424	3,25,000	3,75,590	3,91,000	4.1%
अन्य गैर-कर राजस्व	1,84,206	2,05,668	2,48,461	2,29,373	-7.7%
ङ. पूंजीगत प्राप्तियां (उधार के बिना)	**41,818**	**76,000**	**64,027**	**1,18,397**	**84.9%**
जिसमें:					

विनिवेश	17,202	47,000	33,837	80,000	136.4%
प्राप्तियां (उधार के बिना) (ग+घ+ङ)	**30,78,437**	**34,96,409**	**34,06,350**	**36,51,547**	**7.2%**
उधारियां	**15,74,431**	**15,68,936**	**15,58,492**	**16,95,768**	**8.8%**

स्रोत: प्राप्ति बजट, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ 2026-27; पीआरएस।

- **अप्रत्यक्ष कर**: 2026-27 में कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह 16,79,130 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें से सरकार ने सीजीएसटी से 10,19,020 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान लगाया है।
- **निगम कर**: 2026-27 में कंपनियों पर करों से संग्रह 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 11% बढ़ने की उम्मीद है।
- **आय पर कर**: 2026-27 में आयकर संग्रह में 11.7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2025-26 में आयकर दरों में कटौती की गई थी और सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान को ध्यान में रखते हुए 14,38,000 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान लगाया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार, आयकर राजस्व 13,12,000 करोड़ रुपए है, जो 1,26,000 करोड़ रुपए की और कमी दर्शाता है।
- **गैर-कर राजस्व**: 2025-26 में गैर-कर राजस्व बजट से 14.3% अधिक रहने का अनुमान है। यह बजट में अनुमानित प्राप्ति से अधिक की प्राप्ति के कारण है। ये मुख्य रूप से: (i) आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का लाभांश/अधिशेष, और (ii) संचार सेवाओं (दूरसंचार स्पेक्ट्रम के लिए शुल्क और लाइसेंसिंग शुल्क) से प्राप्त हुई है।

2026-27 के लिए व्यय

- वर्ष 2026-27 में **कुल व्यय** 53,47,315 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है। इसमें से: (i) 17,71,928 करोड़ रुपए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है (2025-26 के संशोधित अनुमान से 8.2% की वृद्धि), और (ii) 9,89,885 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च किए जाने का प्रस्ताव है (2025-26 के संशोधित अनुमान से 17.1% की वृद्धि)।
- 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अन्य हस्तांतरणों पर सरकारी व्यय बजट अनुमानों से 2,03,802 करोड़ रुपए (19%) कम रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण जल जीवन मिशन (50,000 करोड़ रुपए अप्रयुक्त) और प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी एवं ग्रामीण (40,226 करोड़ रुपए अप्रयुक्त) में कम व्यय है।
- सरकार ने 2026-27 में पेंशन पर 2,96,214 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 3% अधिक है। 2026-27 में ब्याज भुगतान पर व्यय 14,03,972 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो सरकार के कुल व्यय का 26% है। 2026-27 में ब्याज भुगतान में 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अन्य अनुदान, ऋण और हस्तांतरण (3,11,691 करोड़ रुपए) में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए गए 1,85,000 करोड़ रुपए के विशेष ऋण शामिल हैं।
- 16वें वित्त आयोग (एफसी) के सुझावों के अनुसार, 2026-27 के लिए एफसी अनुदान 1,29,397 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 15% कम है (वित्त आयोग के सुझावों के विवरण के लिए अनुलग्नक देखें)।

तालिका 3: 2026-27 में केंद्र सरकार के व्यय का विवरण (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2024-25	बजटीय 2025-26	संशोधित 2025-26	बजटीय 2026-27	% परिवर्तन (2025-26 संअ से 2026-27 बअ)
केंद्रीय व्यय	**37,44,781**	**40,16,003**	**41,19,301**	**43,57,429**	**5.8%**
केंद्र का स्थापना व्यय	8,29,423	8,68,096	7,82,701	8,24,114	5.3%
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं	14,94,392	16,21,899	16,37,156	17,71,928	8.2%
अन्य व्यय	14,20,966	15,26,008	16,99,445	17,61,387	3.6%
जिसमें से ब्याज भुगतान	11,15,575	12,76,338	12,74,338	14,03,972	10.2%
केंद्र प्रायोजित योजनाएं एवं अन्य हस्तांतरण	**9,08,086**	**10,49,343**	**8,45,540**	**9,89,885**	**17.1%**
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	4,02,368	5,41,850	4,20,078	5,48,798	30.6%
वित्त आयोग अनुदान	1,20,858	1,32,767	1,52,953	1,29,397	-15.4%
इसमें:					
ग्रामीण स्थानीय निकाय	*41,262*	*48,573*	*54,314*	*55,909*	*2.9%*
शहरी स्थानीय निकाय	*19,260*	*26,158*	*26,023*	*45,272*	*74.0%*
आपदा प्रबंधन अनुदान	*25,249*	*26,969*	*33,515*	*28,216*	*-15.8%*
हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान	*24,483*	*13,705*	*13,705*	*0*	
अन्य अनुदान	3,84,860	3,74,725	2,72,510	3,11,691	14.4%
जिसमें से राज्यों को पूंजीगत व्यय ऋण	*1,49,484*	*1,50,000*	*1,44,000*	*1,85,000*	28.0%
कुल व्यय	**46,52,867**	**50,65,345**	**49,64,842**	**53,47,315**	**7.7%**

स्रोत: बजट एक नज़र में, केंद्रीय बजट दस्तावेज़ 2026-27; पीआरएस।

मंत्रालयों द्वारा व्यय

2026-27 में आवंटन के मामले में शीर्ष 13 मंत्रालयों का अनुमानित कुल व्यय में 54% हिस्सा है (तालिका 4)। इनमें से रक्षा मंत्रालय को 2026-27 में सबसे अधिक 7,84,678 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो केंद्र सरकार के कुल बजटीय व्यय का 15% है। उच्च आवंटन वाले अन्य मंत्रालयों में शामिल हैं: (i) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग (कुल व्यय का 6%), (ii) रेल (5%), और (iii) गृह मंत्रालय (5%)।

तालिका 4: 2026-27 में मंत्रालय-वार व्यय (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2024-25	बजटीय 2025-26	संशोधित 2025-26	बजटीय 2026-27	% परिवर्तन (2025-26 संअ से 2026-27 बअ)
रक्षा	6,36,003	6,81,210	7,32,512	7,84,678	7.1%
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	2,99,460	2,87,333	2,87,142	3,09,875	7.9%
रेलवे	2,55,263	2,55,445	2,55,466	2,81,377	10.1%
गृह मंत्रालय	2,24,585	2,33,211	2,41,485	2,55,234	5.7%
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2,15,009	2,15,767	2,38,409	2,39,521	0.5%
ग्रामीण विकास	1,79,307	1,90,406	1,88,753	1,97,023	4.4%
रसायन एवं उर्वरक	1,84,993	1,61,965	1,91,186	1,77,061	-7.4%
कृषि एवं किसान कल्याण	1,39,744	1,37,757	1,33,370	1,40,529	5.4%
शिक्षा	1,10,736	1,28,650	1,21,949	1,39,289	14.2%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	90,684	99,859	96,854	1,06,530	10.0%
संचार	1,47,832	1,08,105	79,768	1,02,267	28.2%
जल शक्ति	46,720	99,503	41,437	94,808	128.8%
आवास एवं शहरी मामले	53,255	96,777	57,204	85,522	49.5%
कुल व्यय	**46,52,867**	**50,65,345**	**49,64,842**	**53,47,315**	**7.7%**

स्रोत: व्यय बजट, केंद्रीय बजट 2026-27; पीआरएस।

- **रक्षा मंत्रालय**: 2026-27 में आवंटन में 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में 52,166 करोड़ रुपए (7%) की वृद्धि होने का अनुमान है। रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 2026-27 में आवंटन 2,19,306 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 17.6% अधिक है।

- **जल शक्ति मंत्रालय**: 2026-27 में आवंटन में 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 53,371 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 41,437 करोड़ रुपए था, जबकि बजट में 99,503 करोड़ रुपए का प्रावधान था। यह कम खर्च मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के कारण है, जहां 2025-26 के बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में व्यय 50,000 रुपए कम है (तालिका 6 देखें)।
- **आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय**: आवास एवं शहरी मामलों के लिए आवंटन में अनुमानित वृद्धि 2026-27 में 28,318 करोड़ रुपए (49.5%) बढ़कर 85,522 करोड़ रुपए हो जाएगी। यह वृद्धि मुख्य रूप से पीएमएवाई-शहरी के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण है, जिसमें 2025-26 के बजट और संशोधित अनुमानों के बीच 17,894 करोड़ रुपए का कम खर्च (अंडरस्पेंडिंग) देखा गया है (तालिका 6 देखें)।
- **रसायन और उर्वरक मंत्रालय**: रसायन और उर्वरकों के लिए आवंटन 2025-26 में 14,125 करोड़ रुपए (7.4%) घटकर 1,77,061 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण उर्वरक सबसिडी में कमी है (तालिका 5 देखें)।

सबसिडी पर व्यय

2026-27 में सबसिडी पर कुल व्यय 4,54,773 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 3.1% कम है (तालिका 5)। 2025-26 में, संशोधित अनुमान के चरण में, खाद्य सबसिडी बजट अनुमान से 12% अधिक थी और उर्वरक सबसिडी 11% अधिक थी। 2026-27 में खाद्य सबसिडी का अनुमान 2,27,629 करोड़ रुपए और उर्वरक सबसिडी का अनुमान 1,70,799 करोड़ रुपए है जो कुल सबसिडी का 87% है। एलपीजी सबसिडी कुल सबसिडी का 2.6% है।

तालिका 5: 2026-27 में सबसिडी (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2024-25	बजटीय 2025-26	संशोधित 2025-26	बजटीय 2026-27	% परिवर्तन (2025-26 संअ से 2026-27 बअ)
खाद्य सबसिडी	1,99,867	2,03,420	2,28,154	2,27,629	-0.2%
उर्वरक सबसिडी	1,70,683	1,67,887	1,86,460	1,70,799	-8.4%
ब्याज सबसिडी	21,885	27,840	24,666	27,441	11.3%
एलपीजी सबसिडी	14,479	12,100	15,121	12,085	-20.1%
अन्य सबसिडी	15,692	14,969	15,105	16,820	11.3%
कुल	**4,22,606**	**4,26,216**	**4,69,505**	**4,54,773**	**-3.1%**

स्रोत: व्यय प्रोफ़ाइल, केंद्रीय बजट 2026-27; पीआरएस।

प्रमुख योजनाओं पर व्यय

तालिका 6: 2026-27 में योजनावार आवंटन (करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2024-25	बजटीय 2025-26	संशोधित 2025-26	बजटीय 2026-27	% परिवर्तन (2025-26 संअ से 2026-27 बअ)
वीबी-जी राम जी	0	0	0	95,692	-
मनरेगा	85,834	86,000	88,000	30,000	-66%
जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	22,612	67,000	17,000	67,670	298%
पीएम-किसान	66,121	63,500	63,500	63,500	0%
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	32,327	54,832	32,500	54,917	69%
समग्र शिक्षा	36,288	41,250	38,000	42,100	11%
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	38,889	37,227	37,100	39,390	6%
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	21,014	21,960	20,949	23,100	10%
संशोधित ब्याज सहायता योजना	22,600	22,600	22,600	22,600	0%
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना	7,818	20,000	17,000	22,000	29%
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी	5,865	25,794	7,900	22,025	179%
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना	0	0	0	20,083	-
भारतनेट	3,995	22,000	5,500	20,000	264%
अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना	0	20,000	3,000	20,000	566.7%

स्रोत: व्यय प्रोफ़ाइल, केंद्रीय बजट 2026-27; पीआरएस।

- वीबी-जी राम जी को 2026-27 में सबसे अधिक आवंटन (95,692 करोड़ रुपए) प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर वीबी-जी राम जी एक्ट लाया गया था। 2026-27 में मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- जल जीवन मिशन को 2026-27 में 67,670 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025-26 में, संशोधित अनुमान (17,000 करोड़ रुपए) बजट अनुमान (67,000 करोड़ रुपए) से काफी कम है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को 2026-27 में 522,025 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 179% अधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 2026-27 में 54,917 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 69% अधिक है। दोनों योजनाओं के लिए 2025-26 के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से काफी कम हैं। 2026-27 का बजट आवंटन 2025-26 में मूल रूप से बजट में आवंटित राशि के लगभग बराबर है।
- विकसित भारत रोजगार योजना के लिए 2026-27 में 20,083 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना नव नियुक्त युवाओं और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- भारतनेट और अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना के लिए 2026-27 में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025-26 में, संशोधित अनुमानों के अनुसार, भारतनेट के अंतर्गत व्यय बजट राशि का 25% और आरडीआई योजना के अंतर्गत बजट राशि का 15% होने की उम्मीद है।

पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण

- वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त ऋण देने हेतु 1,85,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान 1,44,000 करोड़ रुपए है, जबकि बजट आवंटन 1,50,000 करोड़ रुपए का है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उप योजनाओं और महिलाओं, बच्चों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय

- महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए 2026-27 में 6,33,176 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 25% अधिक है। इन आवंटनों में सभी मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण महिला कल्याण के आवंटन में वृद्धि होने का अनुमान है। आवास योजना के तहत, परिवार की महिला मुखिया का घर की मालिक या सह-मालिक होना अनिवार्य है।

तालिका 7: महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

	वास्तविक 2024-25	संशोधित 2025-26	बजटीय 2026-27	% परिवर्तन (2025-26 संअ से 2026-27 बअ)
महिला कल्याण	3,59,722	3,97,885	5,00,879	25.9%
बाल कल्याण	99,099	1,07,945	1,32,297	22.6%
अनुसूचित जाति	1,23,372	1,61,205	1,96,400	21.8%
अनुसूचित जनजाति	1,05,711	1,23,435	1,41,089	14.3%
पूर्वोत्तर क्षेत्र	87,736*	88,741	1,08,335	22.1%

नोट: *संशोधित अनुमानों को वास्तविक माना गया है। स्रोत: व्यय प्रोफ़ाइल, केंद्रीय बजट 2026-27; पीआरएस।

- पोषण, पीएम-श्री और समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूली शिक्षा के लिए अधिक आवंटन के कारण बाल कल्याण के आवंटन में वृद्धि होने का अनुमान है। जल जीवन मिशन और विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आवंटन में वृद्धि के कारण अनुसूचित जाति के लिए आवंटन अधिक होने का अनुमान है।

घाटा और ऋण

राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) एक्ट, 2003 के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि केंद्र सरकार बकाया ऋण, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करेगी। एक्ट सरकार को तीन वर्ष का आवर्ती लक्ष्य देता है। उल्लेखनीय है कि मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य में 2021-22 के बाद से बजट घाटे के लिए रोलिंग लक्ष्य प्रदान नहीं किए गए हैं।

राजकोषीय घाटा उन उधारियों का संकेत देता है जिनसे सरकार अपने व्यय को वित्त पोषित करती है। 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है, जो 2025-26 (जीडीपी का 4.4%) की तुलना में कम है।

राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच का अंतर होता है। इसका यह अर्थ होता है कि सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत है जिनसे भविष्य में प्राप्तियां नहीं हो सकतीं। 2026-27 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% रहने का अनुमान है जो 2025-26 के समान ही है।

तालिका 8: घाटा (जीडीपी का %)

	वास्तविक 2024-25	बजटीय 2025-26	संशोधित 2025-26	बजटीय 2026-27
राजकोषीय घाटा	4.8%	4.4%	4.4%	4.3%
राजस्व घाटा	1.7%	1.5%	1.5%	1.5%
प्राथमिक घाटा	1.4%	0.8%	0.8%	0.7%

स्रोत: बजट एक नज़र में, केंद्रीय बजट 2026-27; पीआरएस।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतानों के बीच का अंतर होता है। 2026-27 में यह जीडीपी का 0.7% अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा: बजटीय बनाम वास्तविक (जीडीपी के % के रूप में)

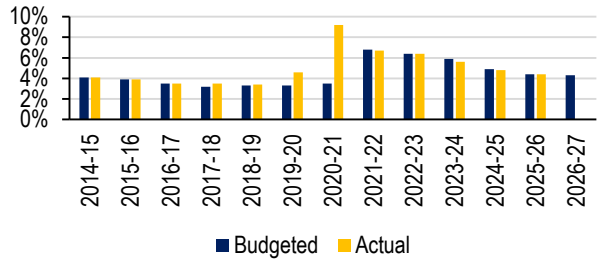

राजस्व घाटा: बजटीय बनाम वास्तविक (जीडीपी के % के रूप में)

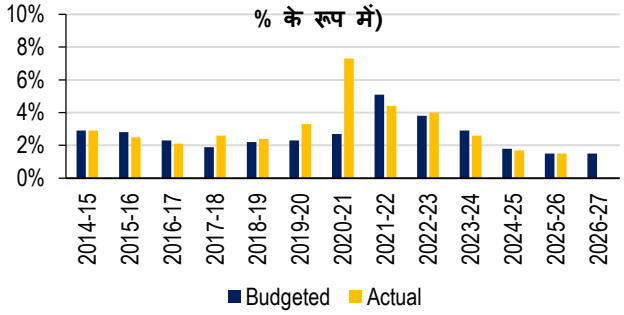

नोट: वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान को वास्तविक माना गया है। स्रोत: बजट एक नज़र में, केंद्रीय बजट (विभिन्न वर्ष); पीआरएस।

- **बकाया देनदारियां** कई वर्षों की उधारियों का संग्रह होता है। अधिक ऋण का अर्थ यह होता है कि सरकार पर आने वाले वर्षों में ऋण चुकाने का अधिक बड़ा दायित्व है।
- 2026-27 में केंद्र सरकार की बकाया देनदारियां जीडीपी का 55.6% होने का अनुमान है। बकाया देनदारियां 2018-19 और 2020-21 के बीच बढ़ीं जो 2020-21 में जीडीपी के 61% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं और उसके बाद इनमें कमी आई है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2031 तक बकाया देनदारियों को जीडीपी के लगभग 50% ± 1% तक कम करना है।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 2013-14 में 37% से बढ़कर 2020-21 में 42% हो गया। 2026-27 में इसके राजस्व प्राप्तियों का 40% होने का अनुमान है।

बकाया देनदारियां (जीडीपी का %)

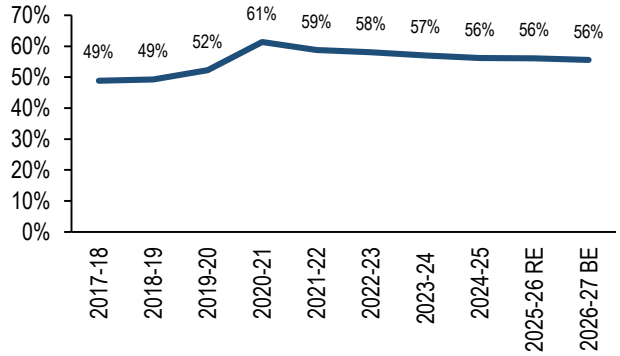

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान

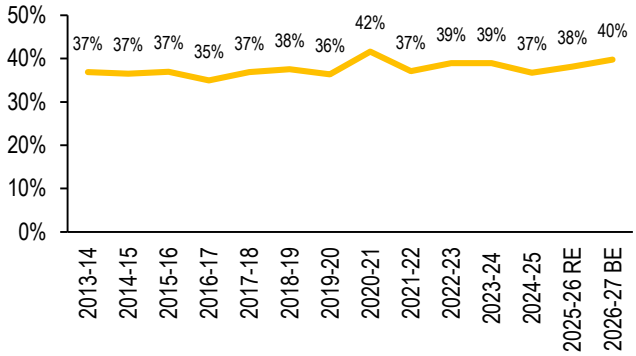

नोट: RE संशोधित अनुमान और BE बजट अनुमान है। स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई; एमओएसपीआई, केंद्रीय बजट दस्तावेज 2026-27; पीआरएस।

अनुलग्नक: 16वें वित्त आयोग के सुझाव

16वें वित्त आयोग (चेयर: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) की रिपोर्ट 1 फरवरी, 2026 को संसद में प्रस्तुत की गई। उसके सुझाव 2026-27 से 2030-31 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए लागू होंगी। आयोग के प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी**: 16वें वित्त आयोग (एफसी) ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखने का सुझाव दिया है। विभाज्य पूल की गणना केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल कर राजस्व में से कर संग्रह की लागत, उपकर और अधिभारों को घटाने के बाद की जाती है। यह हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग के निर्णय (2021-26) की अवधि से अपरिवर्तित है।
- **हस्तांतरण का मानदंड**: राज्यों के बीच केंद्रीय करों के बंटवारे को तय करने के लिए वित्त आयोग एक फार्मूला बनाता है जिसमें कुछ खास पैमानों को अलग-अलग महत्व यानी वेटेज दिया जाता है। 16वें वित्त आयोग ने आय दूरी को सबसे अधिक वेटेज दिया है (तालिका 9)। आय दूरी किसी राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और उच्चतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य के बीच की दूरी है। इस मानदंड के अनुसार, राज्यों के बीच समानता बनाए रखने के लिए कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य को कर के बंटवारे में अधिक हिस्सा मिलेगा। 15वें वित्त आयोग ने भी इस मानदंड का उपयोग किया था, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक वेटेज के साथ।
- 16वें वित्त आयोग ने एक नया मानदंड पेश किया है जो राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान को मापता है। यह 15वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए गए कर और राजकोषीय प्रयासों के मानदंड की जगह लेता है जो अधिक कर संग्रह वाले राज्यों को पुरस्कृत करता था। जीडीपी में योगदान को भी तुलनात्मक रूप से अधिक वेटेज दिया गया है।
- अन्य मापदंडों में जनसंख्या, क्षेत्रफल और वन आवरण शामिल हैं। ये मानदंड 15वें वित्त आयोग के समान हैं। क्षेत्रफल का वेटेज कम कर दिया गया है।

तालिका 9: वितरण के लिए मानदंड

मानदंड	14वां विआ 2015-20	15वां विआ 2021-26	16वां विआ 2026-31
आय की दूरी	50.0	45.0	42.5
क्षेत्र	15.0	15.0	10.0
जनसंख्या (1971)	17.5	-	-
जनसंख्या (2011)	10.0	15.0	17.5
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन#	-	12.5	10.0
वन^	7.5	10.0	10.0
कर और राजकोषीय प्रयास	-	2.5	-
जीडीपी में योगदान	-	-	10.0
कुल	**100**	**100**	**100**

नोट: #यह उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने 1971 की जनसंख्या के मुकाबले अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए हैं।

^ 14वें और 15वें के वित्त आयोग ने मध्यम और अत्यधिक घन जंगलों को आधार माना था। 16वें वित्त आयोग ने खुले जंगलों और कुल वन क्षेत्र में हुई वृद्धि को भी शामिल किया है।

स्रोत: 14वें, 15वें और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट्स; पीआरएस।

तालिका 10: 2026-31 की अवधि के लिए अनुदान (करोड़ रुपए में)

अनुदान	राशि
स्थानीय सरकार	**7,91,493**
ग्रामीण स्थानीय निकाय	*4,35,236*
मूल अनुदान	*3,48,188*
प्रदर्शन अनुदान	*87,048*
शहरी स्थानीय निकाय	*3,56,257*
मूल अनुदान	*2,32,125*
प्रदर्शन अनुदान	*58,032*
विशेष अवसंरचना घटक	*56,100*
शहरीकरण प्रीमियम	*10,000*
आपदा प्रबंधन	**1,55,916**
कुल	**9,47,409**

स्रोत: 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट; पीआरएस।

- **सहायतानुदान**: 16वें वित्त आयोग ने पांच वर्षों की अवधि में 9.47 लाख करोड़ रुपए के अनुदानों का सुझाव दिया है। इनमें निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनुदान शामिल हैं: (i) शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय, और (ii) आपदा प्रबंधन। 16वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित अनुदानों को बंद कर दिया है: (i) राजस्व घाटा अनुदान, (ii) शिक्षा, न्याय, सांख्यिकी और कृषि के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान, और (iii) राज्य-विशिष्ट अनुदान।
- स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान का एक निश्चित प्रतिशत प्रदर्शन-आधारित होगा, जिसका उद्देश्य अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। विशेष अवसंरचना घटक का उद्देश्य व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन में

सुधार और आवश्यक हस्तक्षेपों को सुगम बनाना है। शहरीकरण प्रीमियम का उद्देश्य ग्रामीण से शहरी संक्रमण को प्रोत्साहित करना है।

- **राजकोषीय कार्य योजना:** 16वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र को 2030-31 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5% तक कम करना चाहिए। उसने राज्यों के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के 3% पर निर्धारित करने का सुझाव दिया है। उसने राज्यों के लिए बजटेतर उधार की परंपरा को खत्म करने और ऐसे सभी उधारों को उनके बजट के दायरे में शामिल करने का भी सुझाव दिया है। राजकोषीय घाटे और ऋण की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि इसमें सभी बजट से बाहर के उधारों को समान रूप से शामिल किया जा सके।

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।